AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एआरबीए नं. 47/2021

एस के एस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड 501 बी, एलिगेंट बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला रोड, जे०बी० नगर, अंधेरी(पूर्व) मुंबई 400059

----- **अपीलार्थी**

बनाम

1. मेसर्स आई एस सी प्रोजेक्टस प्राइ० लिमि० एस–2," द मेट्रोपोल" आईनाक्स बंड गार्ड रोड के समीप, पुणे महाराष्ट्र पिन कोड 411001

---- **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु	:	श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता
उत्तरवादी हेतु	:	श्री अभिषेक सिंहा, वरिष्ट अधिवक्ता सहित श्री गौतम खेत्रपाल अधिवक्ता

युगल खण्ड पीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जस्टिस विमला सिंह कपूर

सीएवी आदेश

05/10/2021

न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा

1. यह अपील विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय, नया रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा, अपीलार्थी का आदेश 21 नियम 46–ए सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत आवेदन तथा आवेदन अंतर्गत धारा 47 सहपठित आदेश 21 नियम 58 सीपीसी को निरस्त कर दिया गया है।

उभयपक्षो के बीच यथा उक्त विवाद के संदर्भ में मध्यस्थता हेतु मध्यस्थों की ओर निर्देशित किया गया। मध्यस्थता कार्यवाही का अंततः दिनांक 11.06.2018 के अधिनिर्णय के साथ समापन हुआ।

अभिवचनो से यह भी प्रकट होता है कि, अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996(संक्षेप में मध्यस्थता अधिनियम) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना की गयी कि अधिनिर्णय को निरस्त किया जावें। कथित आवेदन यद्यपि आदेश दिनांक 03.04.2019 के द्वारा मात्र परिसीमा के आधार पर निरस्त किया गया।

अभिवचनों से यह भी प्रकट होता है कि एक अपील धारा 37 मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत की गई है जो अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होना उल्लेखित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उत्तरवादी की ओर से अधिनिर्णय के निष्पादन हेतु एक निष्पादन आवेदन विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तथ्यों से प्रकट होता है कि मध्यस्थता अधिनिर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगाये जाने हेतु उपचार किये गये तथा अतिरिक्त अधिनिर्णय मध्यस्थो द्वारा पारित किया गया जिसके माध्यम से आदेश पारित किये गये तथा विभिन्न कार्यवाहियां लंबित रखी गयी ।

3. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय, नया रायपुर द्वारा आदेश दिनांक 23 जनवरी 2020 के माध्यम से निर्णित ऋणी/अपीलार्थी के बैंक खाता पर भारित रकम 15,52,96,141/–रूपये की कुर्की किये जाने हेतु आदेशित किया। जिसके पश्चात् उत्तरवादी/डिक्रीधारी के द्वारा भी एक अन्य आवेदन दिनांक 07.03.2020 को धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर उक्त राशि को न्यायालय के खाते में अंतरित किये जाने हेतु निर्देश देते हुए तत्पश्चात् उक्त राशि को डिक्री धारी के खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देश देने बाबत् पेश किया गया।

4. जब मामला इस प्रकार था तब अपीलार्थी द्वारा विभिन्न आवेदन दो आवेदनों के साथ पेशकिये गये जो वर्तमान प्रकरण से संबंधित है, जिसमें से एक आवेदन अंतर्गत धारा 21 नियम 46–ए सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० तथा अन्य आवेदन अंतर्गत धारा 47 सहपठित आदेश 21 नियम 58 व्य०प्र०सं० का प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों ही आवेदन विवादित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिये गये।

5. उत्तरवादी के द्वारा प्राथमिक आपत्ति मध्यस्थता अपील की पोषणीयता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों **कांडला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन एण्ड अदर** (2018) 14 एससीसी 715 और **बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमि०**(2020) 4 एससीसी 234 के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उत्तरवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा विशिष्ट रूप से इंगित करते हुए निवेदन किया कि विवादित आदेश धारा 37 मध्यस्थता अधिनियम सहपठित धारा 13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत श्रेणी में नहीं आने से पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उक्त आपत्ति का उत्तर देते हुए अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क किया गया कि धारा 13 के उपधारा (1ए) के परंतुक के तहत उदारतापूर्वक और व्यापक रूप से व्याख्या किये जाने पर वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की प्रकृति एवं अपील के तहत विवादित आदेश सम्मिलित किये जा सकते है। **हबटाउन लिमिटेड विरूद्ध आईडी बी आई ट्रस्टीशिप सर्विस** 2016 एससीसी ऑन–लाइन बॉम्बे 9019 एवं **दिल्ली केमिकल एवं फार्मास्युटिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05 जुलाई 2021 के आदेश एवं **डी एंड एच इंडिया लिमिटेड बनाम सुपरॉन**

श्वेइसटेक्निक इंडिया लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.03.2020 के निर्णयों के तथा उक्त प्रावधान का संदर्भ देते हुए, तर्क दिया गया कि धारा 13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील वैधानिक योजना के तहत पोषणीय है ।

7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण का तर्क श्रवण किये जाने एवं हमारे समक्ष प्रस्तुत निर्णयों के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा **कांडला एक्सपोर्ट कॉपरेशन** (सुप्रा) एवं **बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी (सुप्रा)** के आधिकारिक उद्घोषणा के आधार पर हम इस सुविचारित मत पर पहुचे है कि अपील की पोषणीयता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति विद्यमान रखी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कांडला एक्सपोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों के द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपील की वैधानिकता की जांच की गयी। धारा 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 और 21 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया गया:-

> "13. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1) जिसमें हम इन अपीलो में तत्काल संबंधित है दो भागो में है। मुख्य प्रावधान, जैसा कि श्री गिरि, ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, एक प्रावधान है जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णयों, आदेशो और डिक्री से अपील के लिए प्रावधान करता है। इस मुख्य प्रावधान के लिए प्रावधान द्वारा एक अपवाद बनाया गया है। प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य अपवाद प्रदान करके मुख्य भाग की व्यापकता को योग्य बनाना है जिसे सी आई टी बनाम इंडो-मर्केटाइल बैंक लिमिटेड में बहुत से सहजता से निर्धारित

किया गया है इस प्रकारः (एससीआर पीपी,–266–67: एआईआर 717–18 पैरा9–10)।

"9... परंतुक का उचित कार्य यह है कि यह मुख्य अधिनियम की व्यापकता को एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य अधिनियम से एक भाग को बाहर निकालकर, जो कि परंतुक के बिना मुख्य अधिनियम के अंतर्गत आता है, अर्हता प्रदान करता है, आमतौर पर परंतुक के उचित कार्य के लिए इसे परिशिष्ट के रूप मे कुछ प्रदान करने या किसी ऐसे विषय से निपटने के रूप में पढ़ना विदेशी है जो मुख्य अधिनियम के लिए विदेशी है।

'8....... यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि किसी परंतुक पर उस मुख्य विषय के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए वह परंतुक के रूप में है।'

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, इसे मुख्य अधिनियम के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए। (दास, सी.जे.अब्दुल जबार बट बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(1957) एससआर 51, 59]में)। भगवती, जे., राम नारायण संस लिमिटेड बनाम सहायक कमिशनर बिक्री कर आयुक्त [(1955)2 एससीआर 483, 493]:

'10. यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि किसी कानून के किसी विशेष प्रावधान का प्रावधान केवल उस क्षेत्र को सम्मिलित करता है जो मुख्य प्रावधान द्वारा सम्मिलित किया जाता है। यह मुख्य प्रावधान के लिए अपवाद बनाता है जिसके लिए इसे प्रावधान के रूप में अधिनियम में किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं।'

10. लॉर्ड मैकमिलन में मद्रास और दक्षिणी महाराष्ट्र रेलवे कंपनी बनाम बेजवाड़ा म्युनिसिपौलिटी [(1944) एलआर 71 आई ए 113,122] में निम्न लिखित परंतुक का क्षेत्र निर्धारित किया गया हैः

'.......परंतुक का उचित कार्य ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के अंतर्गत आता है और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। जहां जैसा कि वर्तमान मामले में है' मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है परंतुक का मुख्य अधिनियम की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, ताकि निहितार्थ से उसमें से वह सब बाहर रखा जा सके जो स्पष्ट रूप से इसकी स्पष्ट शर्तों के अंतर्गत आता है।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए एक परंतुक का क्षेत्र मुख्य अधिनियम के लिए अपवाद बनाना और कुछ को बाहर करना है जो अन्यथा धारा के अंतर्गत होता।इसे उसी क्षेत्र में काम करना होगा और यदि मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट है तो इसका उपयोग मुख्य अधिनियम की व्याख्या करने या अधिनियम में स्पष्ट रूप से कही गयी बातों को निहितार्थ से बाहर करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है जब तक कि परंतुक के शब्द ऐसे न हो कि उसका आवश्यक प्रभाव हो । (टोरंटो सिटी कॉर्पोरेशन बनाम कनाडा के अटॉर्नी– जनरल [(1946) एसी 32,37] भी अवलोकनीय है ।)"

विधि के उपर्युक्त सिंद्धातों को लागू करते हुए, वाण्ज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1 ए) के परंतुक के दायरे और दायरे के साथ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रावधान की भी जांच की गई और उनके माननीय न्यायाधीशो/न्यायाधीपतियों ने निम्नानुसार निर्णय दिया:–

"**14.** परंतुक में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाव द्वारा पारित ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील की जा सकेगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XLIII तथा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध है। यह ध्यान देने योग्य है कि जो आदेश सीपीसी के आदेश XLIII के अंतर्गत विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है वे अपील योग्य नहीं होने तथा केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में उल्लेखित अपीले है ऐसी अपील है जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग में की जा सकती हैं ।

15. इस प्रकार धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षो को संदर्भित करने वाला आदेश, धारा 37(1)(ए)के तहत अपील योग्य नहीं होने के कारण, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1) के तहत अपील योग्य नहीं होगी । इसी प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 की उपधाराओ (2) एवं (3) में संदभित याचिका को खारिज करने वाली अपील भी धारा 37(2)(ए) के तहत और इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1) के समान रूप से अपील योग्य नहीं होगी ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी** (सुप्रा) के मामले में बाद के फैसले में उपरोक्त् निर्णय पर फिर से भरोसा किया जाये । यह भी कहा गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1) के तहत अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार न हीं है जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः–

> "**13.** इस तथ्य को देखते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1) के तहत अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, जो केवल अपील दायर करने का मंच प्रदान करता है, यह इसके पैरामीटर है मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 को ही अवलोकन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान अपीले स्वीकार्य है या न हीं। धारा 37(1) यह स्पष्ट करती है कि अपील केवल उपखंड(ए), (बी) और(सी) मे दिये गये आदेशो के विरूद्ध भी की जा सकती है अन्य किसी के विरूद्ध नहीं । उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में यह कहने के लिए जो सीमा चुनी है कि वर्तमान मामलो मे अपीले स्वीकार्य है वह उपखंड (सी) है। उच्च न्यायालय के अनुसार यहां तक कि जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता अधिनिर्णय को निरस्त करने से इंकार करने के समान होगा ।"
>
> **14.** रूचिपूर्ण यह है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1ए) के परंतुक के तहत सीपीसी के आदेश XLIII का भी उल्लेख किया गया है आदेश XLIII नियम 1(ए) इस प्रकार है कि:
>
> > "1. **आदेशो से अपील–** धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेशों से अपील की जा सकेगी, अर्थात् –

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) आदेश VII के नियम 10 के अधीन आदेश, जिसमें वादपत्र को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जायेगा, सिवाये इसके कि जहां आदेश 7 के नियम 10क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो ।"

यह प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम,1996 की धारा 37 में अनुपस्थित है जिसे अकेले धारा 34 के तहत निर्णयो को निरस्त करने या निरस्त करने से इंकार करने के आदेशो के खिलाफ अपील दायर करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है । इसके अलावा जिस चीज को विवादित निर्णय में शामिल नहीं किया गया है, वह है " धारा 34 के अंतर्गत इस प्रकार है मध्यस्थता अधिनिर्णय को रद्द करने से इंकार धारा 34 के तहत होना चाहिए, अर्थात 34 में निर्धारित आधारों को संबंधित मध्यस्थता अधिनिर्णय पर लागू किये जाने के बाद और न्यायालयों द्वारा ऐसे आधारो को खारिज किये जाने के बाद निःसंदेह इन मामलों के तथ्यों पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई निर्णय नहीं हुआ था, मात्र इतना किया गया था कि गुरूग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय ने धारा 151 के तहत प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश VII नियम 10 सीपीसी के साथ स्वीकार कर लिया, यह निर्धारित करते हुए कि गुरूग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के पास धारा 34 आवेदन के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था और इस लिए इस प्रकार के आवेदन को नई दिल्ली में स्थित सक्षम न्यायालय को वापस करना होगा । "

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इन दोनो निर्णयों में सर्वोच्य न्यायालय के उपरोक्त् आधिकारिक घोषणाओ से अन्य निर्णयों में पारित निर्णयों पर विश्ववास करते हुए आगे तर्क हेतु कोई संभावना न्यायाधीश नहीं बचती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में बहुत स्पष्ट रूप से माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ही धारा 13 की उपधारा (1–ए) का प्रावधान यह मानता है कि उपरोक्त् दोनों अधिनियमों के प्रावधान के तहत अपील का उपाय केवल उन आदेशों के विरूद्ध उपलब्ध है जो विशिष्ट रूप से और विस्तृत रूप से इसमें सूचीबद्ध है और जो आदेश इसमें निर्दिष्ट आदेशों के दायरे और दायरे में नहीं आते हैं, अपील नहीं होगी ।

11. निस्संदेह, वर्तमान प्रकरण में जिस आदेश पर आपत्ति की गयी है वह कानून के तहत प्रदाय किया गया आदेश नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह सर्वविदित है कि जब अपील के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक कोइ् अपील संभव नहीं होगीं और ऐसा अधिकार निहित नहीं किया जा सकता ।

12. अतः यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वर्तमान अपील कानून के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है तथा अपीलकर्ता का उपचार अन्यत्र है ।

13. अतः अपील की स्वीकार्यता वर आपत्ति विद्यमान है और अपीलय स्वीकार न होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अपीलकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।

सही/–
(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

सही/–
(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur